रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1980/कार्तिक 1, 1902
No. 486] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1980/KARTIKA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1980

का० आ० 855(अ) —भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 678(अ)/18क/आई डी आर ए/72, तारीख 24 अक्तूबर, 1972 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उक्त आदेश के निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक ने मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और उक्त आदेश की अवधि को, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 620(अ)/18—क/आइ डी आर ए/77, तारीख 19 अगस्त, 1977 द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 23 अक्तूबर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था ;

और उक्त आदेश की अवधि को, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 590(अ) 18-क/आइ डी आर ए/79, तारीख 23 अक्तूबर, 1979 द्वारा, एक वर्ष की और अवधि के लिए, अर्थात् 23 अक्तूबर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 23 अप्रैल, 1981 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जारी रखे ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 23 अप्रैल, 1981 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 4(12)/79 सी यू सी]

बी० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 1980

S.O. 855(E).—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 678(E)/18A/IDRA/72, dated the 24th October, 1972, (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Carter Pooler and Company Private Limited, Calcutta, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the said order for a period of 5 years ;

And, whereas, the duration of the said order had been extended for a further period of two years, that is, upto and inclusive of the 23rd October, 1979, by Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 620(E)/18A/IDRA/77, dated the 19th August, 1977 ;

And, whereas, the duration of the said order has been extended for a further period of one year, that is, upto and inclusive of 23rd October, 1980, by Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 590(E)/18A/IDRA/79 dated the 23rd October, 1979 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period upto and inclusive of 23rd April, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 23rd April, 1981.

[F. No. 4(12)/79-Cuc.]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980